

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 700647/16

संस्थित दिनांक-24.10.16

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-एण्डोरी

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

विरुद्ध

नन्दे उर्फ नंदकिशोर पुत्र अतरसिंह तोमर उम्र 37 साल

निवासी एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 16.05.18 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 294, 323 एवं 506 भाग 2 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 21.09.16 को 02:30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केंद्र एण्डोरी अंतर्गत कपूरी के घर के सामने खेत सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कपूरी को मां बहन के अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभकारित किया, कपूरी की लातघूंसें से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 21.09.2016 को फरियादी कपूरीबाई अपने घर के सामने खेत में चारा काट रही थी। इतने में अभियुक्त आया और बोला कि तूने हमारे खेत से चारा क्यों काटा। फरियादी ने कहाकि उसने चारा नहीं काटा, इसी बात पर नन्दे ने फरियादी की लातघूंसें से मारपीट की। किशनलाल और मायाराम ने घटना देखी और बीच बचाव किया। अभियुक्त जाते समय जान से मारने की धमकी दे गया। उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट से अप०क्र० 115/16 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षियों के कथन लेख किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के द्वारा दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण में उनके निर्दोष होने तथा झूठा फंसाया जाने का कथन किया गया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.09.16 को 02:30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र एण्डोरी अंतर्गत कपूरी के घर के सामने खेत सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कपूरी को मां बहन के अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभकारित किया ?
2. क्या उक्त दिनांक व समय पर आहत कपूरी को शरीर पर कोई चोट मौजूद थी, यदि हाँ तो उसकी प्रकृति क्या थी।
3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त ने कपूरी की लातघूंसाँ से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रकरण में कपूरीबाई अ०सा० 1, किशनपाल अ०सा० 2, मायाराम अ०सा० 3, डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया। जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है।

—:: विचारणीय प्रश्न कं० 1 का निष्कर्ष ::—

6. फरियादी कपूरीबाई अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करती है कि पिछले क्वार (हिन्दी माह) की दोपहर के समय की बात है। वह अपने खेत में थी तथा चारा काट रही थी, अभियुक्त नन्दे भैंस चरा रहा था। उसने कहाकि चारा क्यों नहीं काटने दे रही हो और क्यों भैंस को चरने नहीं दे रही हो। इसके उपरान्त अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा मारपीट करने के संबंध में कथन करती है। अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त द्वारा उसे कोई भी अश्लील गाली या अश्लील शब्द उच्चारित किए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं करती है। घटना के साक्षी किशनपाल अ०सा० 2 एवं मायाराम अ०सा० 3 बताए हैं। किशनपाल एवं मायाराम दोनों ही साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त द्वारा कोई भी अश्लील शब्द या गाली के उच्चारण का कथन नहीं करते हैं। उक्त साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा संहिता की धारा 294 के संबंध में कोई भी सूचक प्रश्न नहीं पूछे गए। इस प्रकार से संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित आरोप का कोई भी समर्थन नहीं होता है। ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 294 का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

—:: विचारणीय प्रश्न कं० 4 का निष्कर्ष ::—

7. प्रकरण में फरियादी कपूरी अ०सा० 1, अभिकथित चक्षुदर्शी साक्षी किशनपाल अ०सा० 2 एवं मायाराम अ०सा० 3 अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्त द्वारा फरियादी को किसी प्रकार की धमकी दिए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं करते हैं। संहिता की 506 बी के आरोप को प्रमाणित किए जाने

के लिए फरियादी को अभियुक्त द्वारा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की अथवा स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने, अग्नि द्वारा रिष्टि कारित करने के संबंध में धमकी दिए जाने का तथ्य अभिलेख पर होना आवश्यक है। प्रकरण में संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से किसी प्रकार की कोई धमकी दी हो, इस संबंध में साक्षियों के न्यायालयीन कथन में कोई भी सारवान तथ्य प्रस्तुत नहीं हुआ है। ऐसी दशा में किसी भी सारवान साक्ष्य के अभाव में संहिता की धारा 506 बी का आरोप प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।

--: विचारणीय प्रश्न कं० 2 का निष्कर्ष :-

8. फरियादी कपूरी अ०सा० 1 अपने अभिसाक्ष्य में बताती है कि अभियुक्त ने उसकी लातघूसों से मारपीट की और डण्डा पीठ में मारा। सिर में एक घूँसा मारने का कथन करती है। घटना की रिपोर्ट थाना एण्डोरी में करने जाने का कथन करती है। पुलिस द्वारा उसकी चोटों का इलाज कराने गोहद लाए जाने और एक्सरे होने का भी कथन करती हैं। किशनपाल अ०सा० 2 इस बात का समर्थन करते हैं कि उन्होंने घटनास्थलपर जाकर देखा कि कपूरीबाई जमीन पर पड़ी, साक्षी फरियादी को मुंह, सिर में चोट आने का कथन करते हैं। यह साक्षी गोहद अस्पताल में आहत का चिकित्सीय परीक्षण होना बताते हैं। मायाराम अ०सा० 3 फरियादी कपूरीबाई की अभियुक्त द्वारा थप्पड़, घूसों से मारपीट कर सिर, पीठ, गाल में चोट आना बताते हैं।

9. डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 4 अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 21.09.16 को गोहद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ होने का कथन करते हुए मेडीकल हेतु आहत को लाए जाने पर उसके दाहिने तरफ चेहरे पर सूजन मौजूद होने तथा एक्सरे की सलाह दिए जाने का कथन करते हैं। आहत को कमर में दर्द की शिकायत किए जाने का तथ्य बताते हुए कोई भी चोट न दिखाई देने के संबंध में कथन करते हैं। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 1 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। प्रकरण में आहत श्रीमती कपूरी के चोटों के संबंध में समर्थन प्र०पी० 1 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से हो रहा है। इसके अतिरिक्त साक्षी किशनपाल अ०सा० 2 एवं मायाराम अ०सा० 3 दोनों ही अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी को शरीर में चोटें होने के तथ्य का समर्थन किया है। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट में आहत को चिकित्सीय परीक्षण में 0 से 6 घण्टे के भीतर चोटें कारित होने के संबंध में चिकित्सक ने अपना अभिमत प्रदान किया है। प्र०पी० 1 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 21.09.16 को शाम करीब 7:45 बजे किया जाना लेख की गयी है जिससे साक्षीगण के कथनों की संपुष्टि हो रही है। अभियुक्त की ओर से भी फरियादी को कथित चोटें शरीर पर मौजूद न होने के संबंध में कोई खण्डनात्मक परिस्थिति अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है, जबकि इसके विपरीत आहत कपूरी को चोटें आने की पुष्टि मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर हो रही है। प्र०पी० 1 की रिपोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत होकर

अधिनियम की धारा 114 ड के अधीन कारबार के सामान्य अनुक्रम में निष्पादित किए जाने एवं अविश्वास का कोई व्यक्तिगत आधार न होने से उपधारणा करने का आधार दर्शित करती है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से फरियादी को दिनांक 21.09.16 को उपहति कारित होने के तथ्य को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। चिकित्सक को उक्त चोटें गिरने से आना संभव होने का सुझाव दिया गया, किन्तु स्वयं फरियादी को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है, ऐसी दशा में फरियादी कपूरी को दिनांक 21.09.16 को सुसंगत समय पर शरीर पर साधारण चोटें मौजूद होने का तथ्य प्रमाणित होता है। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या आहत कपूरी को आई चोटें अभियुक्त ने स्वेच्छा कारित की थी ?

—:: विचारणीय प्रश्न कं० 3 का निष्कर्ष ::—

10. फरियादी कपूरीबाई अ०सा० 1 अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन करती है कि उसने अपनी भैंस के लिए चारा काटा तो अभियुक्त कहने लगा कि क्यों चारा नहीं काटने दे रही हो और भैंस चराने नहीं दे रही हो, इसके बाद अभियुक्त द्वारा लातघूंसें व डण्डे से मारपीट करने और उपहति कारित करने का कथन करती है। इस प्रकार से फरियादी अभियुक्त द्वारा उसके स्वेच्छिक कृत्य के संबंध में कथन कर रही है। अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट करती है कि जब वह चारा काटने अपने खेत पर थी तब वह अकेली थी और चारा काटकर दरवाजे पर आई तब अभियुक्त ने उसकी मारपीट की थी। यद्यपि साक्षी यह बताने में अस्मर्थ है कि वह कितने बजे घर पर आई थी। यहां उल्लेखनीय है कि फरियादी कपूरी ग्रामीण परिवेश की अशिक्षित अर्धेड उम्र की महिला है जिससे घटना का ठीक समय बताने के संबंध में लोप का प्रभाव अभियोजन के मामले को संदिग्ध नहीं बना देता है। फरियादी कपूरी अ०सा० 1 के अभिसाक्ष्य का समर्थन उसका देवर किशनपाल अ०सा० 2 तथा मायाराम जो भतीजा है, करते हैं।

11. अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटनास्थल सार्वजनिक घर के सामने का बताया गया है, किन्तु कोई भी स्वतंत्र साक्षी अभियोजन द्वारा पेश नहीं किया गया है ऐसे में मामला संदिग्ध है। यद्यपि प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी के द्वारा बताए गए घटनास्थल के पास रामचरन व रामनाथ कुशवाह के मकान बने हैं, किन्तु उनके द्वारा कोई कथन नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी ओर यह भी ध्यान देने योग्य है कि आहत कपूरीबाई के अभियुक्त से पूर्व रंजिश के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं, कण्डिका 2 में स्पष्ट कथन करती है कि उसका आरोपी से पहले का कोई झगडा विवाद नहीं था, तात्कालिक कारण खेत पर चारा काटने के संबंध में हुआ था। ऐसी दशा में स्वतंत्र साक्ष्य के बजाय जो साक्षी अभिलेख पर प्रस्तुत हैं, उनके अभियुक्त के विरुद्ध कथन किए जाने का कोई भी हेतुक अभिलेख पर नहीं हैं ऐसी दशा में फरियादी कपूरीबाई का कथन महत्वपूर्ण हैं। आहत साक्षी की अभिसाक्ष्य दाण्डिक विधि में अधिक महत्व रखती

है। न्यायालय का ध्यान न्यायदृष्टांत **Abdul Sayeed v. State of Madhya Pradesh, (2010) 10 SCC 259** की ओर आकर्षित होता है जिसमें मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में अभिनिर्धारित किया कि –

Injured witness - Testimony of - Reliability - Presence of injured witness on spot, not doubtful - Graphic description of entire incident given by him - Must be given due weightage - His deposition corroborated by evidence of other eye witnesses - Cannot be brushed aside merely because of some trivial contradictions and omission therein.

इसके अतिरिक्त मान० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आहत साक्षी की साक्ष्य के मूल्यांकन के संबंध में न्यायदृष्टांत **Bhajan Singh alias Harbhajan Singh and Ors v. State of Haryana AIR 2011 SC 2552 : (2011)7 SCC 421** भी उल्लेखनीय हैं जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 21 में आहत साक्षी के संबंध में महत्वपूर्ण संप्रेक्षण करते हुए उसके कथन को अधिक भार दिए जाने और अभियुक्त को फंसाकर सच्चे अपराध कर्ता को बचाने के संबंध में कोई आधार न होना अभिव्यक्त किया।

12. जहां तक फरियादी के कथन में विरोधाभास का तर्क प्रस्तुत किया है तो उसके कथन में कथित विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के हैं। इस मामले में फरियादी कपूरी अ०सा० 1 की साक्ष्य पर उसे कारित चोटों के संबंध में न्यायालय के समक्ष अविश्वास हेतु युक्तियुक्त कारण मौजूद नहीं हैं।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 21.09.16 को 02:30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र एण्डोरी अंतर्गत कपूरी के घर के सामने खेत सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कपूरी को लातघूँसों से मारपीट कर स्वेच्छा उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 323 के अधीन **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त को संहिता की धारा 294 एवं 506 भाग दो के आरोप प्रमाणित न पाए जाने से उक्त आरोप के अधीन दोषमुक्त किया जाता है।

14. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया गया।

15. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्वान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

पुनश्च:

16. अभियुक्त एवं उनके विद्वान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण परिवेश के होकर कृषक हैं। अतः इस आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
17. अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त ग्रामीण परिवेश का अवश्य हैं। उभयपक्ष एक ही गांव के निवासी है। चारा काटने को लेकर विवाद होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का नहीं हैं, न ही सुनियोजित प्रकृति का है। ऐसे में कठोरतम दण्ड से दण्डित करने की दशा में उनके मध्य भविष्य में संबंधों की मधुरता की संभावना समाप्त हो जावेगी। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 323 के अधीन न्यायालय उठने की अवधि की सजा एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का कारावास भुगताया जावे।
18. अभियुक्त से अर्थदण्ड के रूप में बसूली गयी राशि में से फरियादी/आहत श्रीमती कपूरीबाई पत्नी स्व० हरिमोहन कुशवाह निवासी ग्राम एण्डोरी थाना एण्डोरी जिला भिण्ड को हुई क्षति या हानि के प्रतिकर के रूप में दफ़्तर की धारा 357-1 ख के अधीन 500 रुपये (पांच सौ रुपये) आवेदन करने पर विधि अनुसार प्रदान किये जावें।
19. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।
20. निर्णय की एक प्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।
21. अभियुक्त की निरोधावधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश